



कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



भारत सरकार

पत्रांक— २०२० /12-1 :देहरादून:दिनांक ०६ अक्टूबर, 2026

सेवा में,

उप वन महानिदेशक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद—उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/19182/2016
सन्दर्भ :- उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग—03 के पत्र सं०—1698/x-3-24/1(96)/2017-E-76272, दिनांक—02.01.2025।


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.04.2019 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 456 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन को ऑनलाईन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी थी। प्रकरण पर शासन के पत्रांक 1698/X-3-24/1(96)/2017 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है, जिसे ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित—2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीया,



(मीनाक्षी जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

संख्या २०२० /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


(मीनाक्षी जोशी)


अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 456 /FP/UK/ROAD/19182/2016: देहरादून: दिनांक: 06/9/ अगस्त 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/०६/७८/२०१७/एफ०सी०/७५, दिनांक:-16.04.2019।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र दिनांक 19-08-2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:-

क्र.सं	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे० ग्राम जरापुर एवं माण्डियासारी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वाभित्त के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 1072859.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में कर दी गयी है। एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक-70501/ग्यारह-03(2022-23) दिनांक-30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है।(संलग्नक-01)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू० 149750.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।(संलग्नक-02)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम रतार से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायलय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कर दिया जायेगा।(संलग्नक-03)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम से CORPORATION BANK, LODHI COMPLEX, BRANCH, BLOCK-11, CGO COMPLEX, PHESE-1, LODHI ROAD संख्या-150896119182289 में रू० 2222609.00 जमा कर दी गयी है।(संलग्नक-02 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास



द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रमाण पत्र को पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया है।(संलग्नक-04)
---	--

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
06/09/23
(आर0के0मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 456 / FP/UK/ROAD/19182/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
3. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, चिन्थाली सोड, उत्तरकाशी।

(आर0के0मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4/1



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक -438 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 19/12/2023,।



सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन संरक्षण, भूमि संवर्धन निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून
पंजी० सं० 856
पत्रावली 815
दिनांक 25/12/23

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि का गैर वनिकी कार्या हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रपोजल नं०-(FP/UK/ROAD/19182/2016)

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक-179/12-1, दिनांक-18.07.2023,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/06/78/2017/एफ०सी०/75, दिनांक-16.04.2019 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अपने संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे० ग्राम जसपुर एवं माण्डियासारी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 1072859.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है (संलग्न) एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक-7051/ग्यारह-03(2022-23) दिनांक-30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 1149750.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि का मुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में कर दिया जायेगा। (संलग्न)

सं-370/प्रभारी उत्तरकाशी
आ-का-के

13/12/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374 222964 Tel.No- 01374 222444

पत्रांक-179/12-1, कोटबंगला दिनांक 18/07/2023

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुन्किरीरती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर के किमी 0 1.75 हे 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रपोजल नं०-FP/UK/ROAD/19182/2016)

सन्दर्भ :- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी का पत्रांक-1207/3एल0ए0 दिनांक 05.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-08वी/यू0सी0पी0/06/78/2017/एफ0सी0/75, दिनांक 16.04.2019 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है।

क्र.सं	शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे 0 ग्राम जसपुर एवं माण्डियासारी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे 0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू 0 1072859.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक, आई 0) जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 7051/ग्यारह-03(2022-23) दिनांक 30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया। (संलग्न-कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू 0 1149750.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे, कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियाँ (CA cast. NPV etc.) को बैब पोर्टल पर online Generate किए गए जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर NEFT/RTGS चालन के माध्यम से CORPORATION BANK, LODHI COMPLEX BRANCH ,BLOCK 11 CGO COMPLEX, PHESE-1 LODHI ROAD

MAHARAJA
30/07/2023
31/07/2023

596
12-1
31/07/2023

सख्या-1508961191827289 में रू० 2222609.00 जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक,)

क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के नौ किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न है)

अतः आपसे अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,

(डी.पी. बलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 179/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, चिन्ग्यालीसौड उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आख्या अपने स्तर से ऑनलाइन पोर्टल परिवेश में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी.पी. बलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
कोटबंगला, उत्तरकाशी।

संख्या: 7051

न्यारह- 03

(2022-23)

दिनांक 30 जून, 2023

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि के सापेक्ष दोगुनी भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ ने अपने पत्र संख्या:1152/03 एल०आर० दिनांक 23 जून, 2023 के द्वारा दिवारीखोल से जोखणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० सिविल भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार, डुण्डा के पत्र संख्या:311/ना०ना०-विविध-पत्रा०/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 जो उप जिलाधिकारी, डुण्डा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2022 को अग्रसारित कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, में उल्लेख किया है कि उक्त मोटरमार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिए दोगुनी भूमि ग्राम माडियासारी पट्टी-भण्डारस्यू तहसील डुण्डा की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता संख्या: 14 में दर्ज खसरा संख्या: 690 म. रक्वा 1.954 हे० भूमि एवं ग्राम जसपुर पट्टी भण्डारस्यू तहसील डुण्डा की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता संख्या: 06 में दर्ज खसरा संख्या: 502 रक्वा 1.823 हे० भूमि अब्बल ही उक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दर्ज अभिलेख है। उक्त खसरों की खतौनी राजस्व उप निरीक्षक गेवला(भण्डारस्यू)के द्वारा खतौनी नकल सत्यापित कर तहसीलदार, डुण्डा के पत्र दिनांक 28.12.2021 जो उप जिलाधिकारी, डुण्डा द्वारा अग्रसारित कर दिनांक 17.01.2022 को याचक विभाग/इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि तहसीलदार, डुण्डा/ उप जिलाधिकारी, डुण्डा की उपरोक्त आख्या क्रमशः दिनांक 28.12.2021 एवं 17.01.2022 की छायाप्रति मय खतौनी नकल के आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उक्त क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि को विभाग के पक्ष में दर्ज करते हुये उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अनापत्ति पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(तीर्थ पाल सिंह)

अपर जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
- 2- तहसीलदार, डुण्डा।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़।
- 5- वैयक्तिक सहायक, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

30/6/23

Online payment

Help

©Propc

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/ (Rs.)
1	FP/UK/ROAD/19182/2016 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19182/2016) Diversion of traffic on motor road	ROAD191822016289	6119182289	16 Apr 2019	CA: 1072859/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 1149750/ Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2222609
2	FP/UK/ROAD/19834/2016 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19834/2016) Sira Motor road.	ROAD198342016862	6119834862	09 Jan 2018	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 625464/ Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 119376

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-05-2020

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182289
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, ChinyalisaurUttarkashi
Amount(In Rs)	2222609/-

Amount in Words :Twenty-Two Lakh Twenty-Two Thousand Six Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896119182289 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003


- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण -पत्र

योजना का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के बडेथी—बनचौरा—बद्रीगाड़ मोटर मार्ग के किमी० 37 से दिवारीखोल से ग्राम जोखणी तक मोटर मार्ग की 2.35 किमी०(लम्बाई) निर्माण हेतु 1.75 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)

25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/७८/२०१७/एफ०सी०/७५

दिनांक: 16/04/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीवारीखोल से जोखली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 755/X-4-17/1(96)/2017 दिनांक 28.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/19182/2016 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीवारीखोल से जोखली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 है० ग्राम- जसपुर एवं मण्डियासारी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।


Cont.

101

संख्या: 1698 /X-3-24/1(96)/2017
ई0 फाईल संख्या-76272

07 JAN 2025

प्रेषक,
कहकशां नसीम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
वन अनुभाग-03
02 जनवरी, 2025



देहरादून: दिनांक:

विषय: जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-836/X-3-24/1(96)/2017, दिनांक-20 अगस्त, 2024 के प्रतिउत्तर के क्रम में अपने पत्रांक-960/12-1, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत दिवारीखोल से जोखणी सड़क मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू0सी0पी0/06/78/2017/एफ0सी0/75, दिनांक-16.04.2019 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कृपया प्रस्ताव में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक-16.04.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी से यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि:

भवदीया,

Signed by
Kahkashan Naseem

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

संख्या: 1698 (1)/X-3-24/1(96)/2017, तददिनांकित।
Date: 02-01-2025 15:15:04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Pccf (Model)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

पंजी सं. 27-98
पत्रावली 12-1
दिनांक 16-1-25

प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन
क. प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
 पत्रांक- 3823 /12-1 कोयमाली, दिनांक 20/04/2026

विषय- जमात उत्तरकाशी के कार्यालय दिनांक 19/01/2025 में जोखणी गोदर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हेक्टर वन भूमि का गैर
 उपयोगी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की प्रत्यापन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं- FP/UK/ROAD/19182/2016-
 0-एसे- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खाण्ड लोअनिवि, चिन्वालीशौड, उत्तरकाशी का कार्यालय पत्रांक-516/3 एल0ए0
 दिनांक 08.04.2026।

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित से प्रयोग विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन के
 पत्र-1698/(1) X-3-24/(96)/2017 दिनांक 02.01.2025 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आह्वय उपलब्ध
 करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में अवगत कराया है कि प्रश्नगत गोदर मार्ग में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन
 आह्वय इस कार्यालय के पत्र-2263/12-1 दिनांक 07.01.2025 द्वारा पूर्व में ही आपके कार्यालय को अग्रिम आवश्यक
 कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है, जिसकी प्रति पुनः आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त पत्र के साथ पुनः
 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न - उमरोक्तानुसार।

(सिद्धि)
 (डी०पी० बरुनी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक- 3823 /तददिनांकित।

- प्रतिनिधि- 1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को
 उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
 2. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खाण्ड लोअनिवि चिन्वालीशौड, उत्तरकाशी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सिद्धि)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 466/3 एल.ए. 2025

दिनांक 31/03/2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी,,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय : जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1698/(1)X-3-24/(96)/2017 दिनांक 02.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/06/78/2017/एफ०सी०/75 दिनांक 16.04.2019 में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार परिपूर्ण अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1398/3एल.ए. दिनांक 24.09.2024 एवं 336/1एल.ए. दिनांक 06.03.2025 को प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग, कोटबंगला उत्तरकाशी को संलग्न कर प्रेषित की गई है जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में विधिवत् स्वीकृति प्रदान हेतु संस्तुति कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न- शर्तों की अनुपालन आख्या।

प्रभारी उत्तरकाशी

आ.आ.के।

हस्ताक्षर

पत्रांक 466/3 एल.ए. 2025

पत्रांक:-

भवदीय

हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

तददिनांकित

- प्रतिलिपि- 1. अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो.नि.वि., उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग, कोटबंगला उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

पत्रांक सं० 3366

पत्रावली 127

दिनांक 07-06-26

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्गलीसौड (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक 24 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

विषय : जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर के किमी० 1.75 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/19182/2016)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 4485/12-1, कोटबंगला दिनांक 20.06.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों की अतिरिक्त धनराशि जमा कर चालान सहित सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

क्र०स०	शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन संख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोगता अभिकरण की लागत पर 3.50 हे० ग्राम जसपुर एवं गाण्डियासारी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 1072859.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है (संलग्न चालान, ऑनलाइन चैक, आई०), जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 7051/ग्यारह-03(2022-23) दिनांक 30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया। (संलग्न-कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति)
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए०, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।)

	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभगीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस भारत के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 11,49,750.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक, आई०) पुनः वर्तमान दरों पर एन.पी.वी. की संशोधित धनराशि रू० 6,09,368.00 की चालान द्वारा उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896119182331 Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 में जमा कर दी गई है।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत संशोधित रू० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896119182331 में रू० 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 37 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन, विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल	परियोजना के तहत प्रयोगिता

	ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896119182331 में रु० 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गई है। (जमा पर्वी संलग्न)
8.	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14.	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16.	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
17.	परियोजना/कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	जाएगा।	
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh-nic/in/) पर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति-उपरांत नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(इं० मनोज दास)

अधिशायी अभियंता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,

चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रति- 1399/3 एच०एच०

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता छटा वृत्त लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनि की रेंति, ऋषिकेश।
4. सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्वालीसौड़।

अधिशायी अभियंता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,

चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

Print Date - 26-7-2024

Transaction ID - WO4100423407241006

आकस्मिक देयक प्रपत्र
 वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
 (द्वितीय अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

1- जनपद का नाम : उत्तरकाशी
 2- कोषागार का नाम : उत्तरकाशी
 3- देयक की अवधि कय से कय तक
 4- रिकार्ड कोड

1	0	3
---	---	---

मुख्य लेखाशीर्षक - (5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
 उप मुख्य लेखाशीर्षक - (04)जिता तथा अन्य सड़के
 तृतीय शीर्षक - (337)सड़क निर्माण कार्य
 उपशीर्षक - (03)राज्य सेक्टर
 ब्योरेवार शीर्षक - (04)एन(0)वी(0) का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड

4	1	0	0
---	---	---	---

6- देयक पंजी की क्रम संख्या

0	0	0	1	9	0
---	---	---	---	---	---

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

0

वाउचर दिनांक

8- मातृदेय/भारित

: मरुदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2 उपमुख्य शीर्षक + 3 तृतीय शीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)

10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम

: अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड तौनोवि(0) उत्तरकाशी

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4	2	3	4
---	---	---	---

12- अधिष्ठान का नाम

: अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड तौनोवि(0) उत्तरकाशी

13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान 14- सोर्स कोड : 1

15- सेक्टर कोड : 2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संतान करें)

वजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मंद का नाम व कोड	आवृत्त कुल वजट	इस विल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष वजट
54-भूमि क्रय	8435129	2498735	5936394

भुगतान का विवरण	
मानक मंद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	6,09,368
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	6,09,368

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	6,09,368

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रमाणित प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
 (केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीनैसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
 (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि ₹0 6,09,368 (Rupees Six Lacs Nine Thousand Three Hundred Sixty Eight Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

संग्रहण द्वारा ₹0 -

सकल धनराशि ₹0 6,09,368

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP4100423407241004, Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896119182331	609368	0	0	609368
					609368	0	0	609368

Date - 26-7-2024

Transaction ID - WO4100423407241006

आकस्मिक देयक प्रपत्र
 वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - 1
 (देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

पत्र का नाम : उत्तरकाशी
 पत्र का नाम : उत्तरकाशी

मुख्य लेखाधीनक - (5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 उप मुख्य लेखा अधीनक - (04) जिला तथा अन्य सड़कें
 तृतीयक - (337) सड़क निर्माण कार्य
 उपतृतीयक - (03) राज्य सेक्टर
 चतुर्थक - (04) एनपीवी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

कौड़ी अंक से कब तक

कोड	1	0	3
पत्र/उपकोषागार का कोड	4	1	0 0
पंजी की क्रम संख्या	0	0	0 1 9 0
संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)	0		

वाउचर दिनांक

देश : भारत

लेखा संख्या 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाधीनक + 3 तृतीयक + 2 उपतृतीयक + 2 चतुर्थक)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

वितरण अधिकारी का पदनाम : अभियंता अभियंता निर्माण सण्ड सो0नि0वि0 उत्तरकाशी

वितरण अधिकारी का कोड

4	2	3	4
---	---	---	---

पत्र का नाम : अभियंता अभियंता निर्माण सण्ड सो0नि0वि0 उत्तरकाशी

पत्र संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान 14- शीर्ष कोड : 1 15- सेक्टर कोड : 2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिरूपि संतान करें)

वजत की वर्तमान स्थिति			
क मद्र का नाम व कोड	आवंटित कुल वजत	इस विल को समितित करते हुए	अवशेष वजत
क्रय	8435129	2498735	5936394

भुगतान का विवरण	
मानक मद्र का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	6,09,368
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	6,09,368

FOR OFFICIAL USE	
कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियाँ	-
99 शूद्र देय धनराशि 66-77	6,09,368

किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति सहीकर की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Executive Engineer
 Construction Division P.W.D.

DADAOD/DAO V
 Constn. Division

नियंत्रक/प्रतिनिष्ठाधिकारी/अधिकारी के हस्ताक्षर
 (केवल काउन्टरसाइन्ड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू
 Construction होगी)
 (पदनाम एवं कार्यालय की सहस्यता)
 C:: Yaisaur (Uttarakashi)

रु० 6,09,368 (Rupees Six Lacs Nine Thousand Three Hundred Sixty Eight Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।


द्वारा रु०
 राशि रु० 6,09,368

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP4100423407241004 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896119182331	609368	0		
				609368	0		

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	609368/-

Amount in Words :Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	609368/-

Amount in Words :Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated within 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, m0903710@unionbankofindia.bank

Ch/ विद्युत विभाग की योजना प्रकल्प नाम

Passed for Rs. 609368.00

FORM 20 HAND RECEIPT

(See Chapter A, Paragraphs 284, 290 & 304)

Date: 11/11/2011

Cash Book Voucher

(1) Pay by Cheque/Cash Rs. (609,368.00) (छह लाख बी सत्रह सौ अठारह रुपये मात्र)

(2) Paid by me RECEIVED from the (विद्युत विभाग/माली/प्रकल्प अधिकारी) in charge of (विद्युत विभाग)

Sub-Division (विद्युत विभाग) Division the sum of Rs. (609,368.00)

Name of Work of purpose for which payment is made (विद्युत प्रकल्प)

Verified for Rs. (609,368.00) Amount in Voucher

S.D.O. Signature of payee

CIS Kis. ₹ = 609368.00

Executive Engineer
A. Division, PWD
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जिलाधीरौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_nkl@rediffmail.com

Phone/Fax No. = 01371-237004

पत्रांक 336 / 01 स्त 16 स्त 6
सेवा में

दिनांक 06 / 07 / 2026

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिगरीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवाड़ीखोल रो जोखणी मोटर रोड के निर्माण हेतु 1.76 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यानर्तन। (FP/UK/ROAD/19102/2016)

संदर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्वियनगर फॉरिस्ट काइली, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1899/12-1, देहरादून, दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण पर भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08वीं/गू०सी०भी०/06/78/2017/एफ०सी०/76, दिनांक 16.04.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की विस्तृत परिपूर्ण अनुपालन आश्रय निम्न प्रकार सेवा में प्रेषित है -

क्र०स०	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन र/रूप
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एफ०सी० द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एफ०सी० द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.50 हे० ग्राहम जसपुर एवं माण्डियासारी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 1072059.00 की धनशक्ति वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है (संलग्न चालन, ऑनलाइन चेक, आई०), जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 7051/ग्यारह-03 (2022-23) दिनांक 30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया। (संलग्न-कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति)
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए०, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।)

(मी.)	वन सर्वेक्षण अभिकर्ता द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	पार्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचली वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार पंचालित मजदूरी चर्च पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं एक्वेजिशन, एमीगेशन और एक्वेजिशन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अप्रयुक्त किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रु० 11,49,750.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पास में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चेक, आई०) पुनः वर्तमान दरों पर एन.पी.वी. की संशोधित धनराशि रु० 6,09,368.00 की चालान द्वारा उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896119182331 Union Bank of India FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 में जमा कर दी गई है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 29.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1999-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2008-एफ०सी० दिनांक 03.10.2008 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.50 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत संशोधित रु० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of India FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896119182331 में रु० 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 37 छोड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के स्वतः पर्यवेक्षण में फर्टेमें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 6,09,368.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of India FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता

		संख्या - 150896119182331 ने रू0 6,09,368.00 के खाते में जमा करा दी गई है। (जमा पर्ची संलग्न)
8.	गाईंलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14.	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16.	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रमाणीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार भलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पीछे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh-nic/in/) पर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(इं० ~~सुनील~~ 03/15)
अधिशारी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्चलीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला, उत्तरकाशी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, छटा वृत्त, लो.नि.वि., उत्तरकाशी।

अधिशारी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्चलीसौड़ (उत्तरकाशी)।

उत्तराखण्ड Non L.A. क्षेत्र (फि-1428-1433) के

1- जमीन मालिकी एवं अधिकारों के दस्तावेजों के जांच के लिए प्रेषित प्रपत्र सं 0 प-11

1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ग 18 भूमि जो सरकार के अधिकार में है							
14 खन पिनाग		420	308	0377			
		कु-स	69	1.954	✓		
			711	0-355			
			784	0-923			
खाने का प्रपत्र		01	3-609				

अनिल अरवाह
 07/06/23
 जिला मजिस्ट्रेट
 उत्तराखण्ड

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-05-2020

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182289
MoEF/SG File No.	8B/UCP/00/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(In Rs)	2222809/-

Amount In Words :Twenty-Two Lakh Twenty-Two Thousand Six Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896119182289 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-05-2020

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182289
MoEF/SG File No.	8B/UCP/00/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(In Rs)	2222809/-

Amount In Words :Twenty-Two Lakh Twenty-Two Thousand Six Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896119182289 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

t_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD191822016289

Online payment history made by User Agency under CAMPA



©Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE (Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/19182/2016 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19182/2016) Identical to Sikanli road	ROAD1918220162896119182289		16 Apr 2019 CA: 1072859/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1149750/-, Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2222609/-	PAID	Fund: Demand 23 Sep 2019 Verified by: Nodal Officer On: Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated: 21 May 2020 On: Transaction Date: 22 May 2020	Demand Letter (./writereaddata/fundpdf/8118121612164X21XdemandnoteDiwanikhholokhimitoroad.p Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD191822016289)	
2	FP/UK/ROAD/19834/2016 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19834/2016) Sira Notar road.	ROAD1983420168626119834862		09 Jan 2018 CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 625464/-, Road Site: 563244/- Plantation: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1193708/-	PAID	Fund: Demand 13 Mar 2019 Verified by: Nodal Officer On: Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated: 13 Mar 2019 On: Transaction Date: 18 Mar 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/311112221214CNSN)demannotesirautarkashandtehril.pdf Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD198342016862)	



(10)

Bill Type : Normal

26-7-2024
118-1108973407241006

आवधिक देयक प्रपत्र
बितीय निगम राष्ट्रीय सड़क प्रायुध भाग - १
(देसे अध्याय - अठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

Signature

आवधिक देयक प्रपत्र
: उभयपक्षी
: उभयपक्षी

मुख्य लेखाधीनक -	सिखाधीनक सम्पत्ती विवरण
उप मुख्य लेखा अधीनक -	(5054)राइन्ड कम्प संकुओं पर मूलीकता परियक्य
सुधीनक -	(64)बिता तथा अय्य राइन्ड
उपधीनक -	(337)राइन्ड निर्माण कार्य
अधीनक -	(03)राज्य रोडर
अधीनक अधीनक -	(04)एवापीकती का मुदाव / मुदि अधिप्राप्य
साउवर दिनांक	

1	0	3			
4	1	0	0		
0	0	0	1	9	0
0					

वजेट
वजेट कोड (4 मुख्य लेखाधीनक
वजेट कोड (3 सुधीनक + 2 उपधीनक + 2 अधीनक
वजेट कोड (अधिकासी अधिप्राप्य निर्माण सड़क सोपनिधि उल्लेखणी
वजेट कोड (अधिकासी अधिप्राप्य निर्माण सड़क सोपनिधि उल्लेखणी

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

वजेट कोड (अधिकासी अधिप्राप्य निर्माण सड़क सोपनिधि उल्लेखणी
वजेट कोड (अधिकासी अधिप्राप्य निर्माण सड़क सोपनिधि उल्लेखणी

4	2	3	4
---	---	---	---

वजेट का नाम व कोड	आवधिक कुल वजेट	इस विल की सम्मिलित करते हुए	अवशेष वजेट
वजेट	8435129	2498735	5936394

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-मूली क्य	6,09,368
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समारोजन के बाद)	6,09,368

कन्टीनियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कन्टीनियां	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	6,09,368

देखा जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत निगमों एवं आदेशों की सामग्री ओपेरेटिविक्तायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Executive Engineer
Construction Division PWD

निर्माण/प्रतिस्थापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कन्टीनियों के प्रकरण में ही लागू)
Construction Home
(पदनाम एवं कार्यालय की सहसहशी)

₹ 6,09,368 (Rupees Six Lacs Nine Thousand Three Hundred Sixty Eight Only) मुगंमं हेतु पारित किया जाता है।
₹ 6,09,368

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP4100423407241004 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896119182331	609368	0	0	609368
				609368	0	0	609368

Passed for Rs. 2000.00

FORM OF HAND RECEIPT

(To be used for receipts of Rs. 100 & 500)

Contract No. Date

(1) By Cheque No.

to the account of

(2) For the purpose of

in charge of

for the purpose of


Amount in Voucher

Signature of



Handwritten signature and text at the bottom of the page.

Bank Copy



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date: 25-07-2024

Agency Name:	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	BB/UCP/06/78/2017/FC
Location:	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount (in Rs)	609368/-

Amount in Words: Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty-Eight Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FC Centre, 21/1, III Floor, Jelita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference to I mail: fesblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, 03710@unionbankofindia.bank

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6119182331
MoEF/SG File No.	BB/UCP/06/78/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	609368/-

Amount in Words :Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896119182331 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FC Centre, 21/1, III Floor, Jelita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only